उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 130 / 2023-24 दिनांक : 05.09.2023

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री चन्द्र पाल पुत्र श्री तुला राम, परिवादी
नई सुनहरी, किच्छा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादी श्री चन्द्र पाल पुत्र श्री तुला राम का एक शिकायती पत्र दिनांक 11.08.2023 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC2G316134041 (01 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल रू0 55285.00 का आया है जो बहुत अधिक है। प्रार्थी फल / सब्जी की रेहड़ी लगाकर अपना पालन–पोषण करता है वह इतना अधिक बिल जमा करने में असमर्थ है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत बिल (रू0 55285.00) को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 11.08.2023 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 19.08.2023 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 22.08.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.08.2023 व 05.09.2023 को परिवादी अनुपस्थित रहा जबकि विपक्षी की ओर से श्रीमती प्रियंका रानी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) व दिनेश चन्द्र गुर्रानी, उपखण्ड अधिकारी के तर्क सुने गए।

क्रमशः 2.....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता ने अपने पत्र संख्या–625 दिनांक 04.09.2023 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के विद्युत बिल को मैनुअली गणना के आधार पर संशोधित कर रू0 54351.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर व कंज्यूमर बिलिंग की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

	05/09/2023	5/09/2023
(रमेश चन्द्र कुकरेती)	(नवीन चन्द्र तिवारी)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य